परिशिष्ट - I

बिहार सरकार,
पथ निर्माण विभाग

अ धि सू च ना।

पत्रांक-2/[illegible]-3012/91 अधिसूचना सं0-97 [illegible] पटना, दिनांक 8.11.99

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्र... करते हुए बिहार राज्यपाल पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार तकनीकी सेवा में नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए एतद् द्वारा निम्न-लिखित नियम बनाते हैं:-

(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:-

(1) यह नियमावली "बिहार तकनीकी सेवा" नियमावली 1999 कहलायेगी।

(11) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

(2) परिभाषायें:- जब कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में

(क) "आयोग" से तात्पर्य है बिहार लोक सेवा आयोग।

(ख) "सरकार" से तात्पर्य है बिहार सरकार।

(ग) "राज्यपाल " से तात्पर्य है बिहार राज्यपाल।

(घ) (सेवा " से तात्पर्य है बिहार तकनीकी सेवा। और

(ङ) "सेवा का सदस्य" से तात्पर्य है, इस नियमावली के उपबंधों के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति।

(3) पद, वेतनमान एवं वर्गीकरण निम्नलिखित है:-

क्रमांक- 1	पदनाम 2	वेतनमान 3	वर्गीकरण 4	अभियुक्ति 5
1.	निदेशक	14300-18300	राजपत्रित (वर्ग-1)	बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के अधीक्षण अभियंता से पदस्थापन द्वारा।
2.	उप निदेशक	10000-15200/-	राजपत्रित (वर्ग-1)	एकपद बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के कार्यपालक अभियंत्रण से एवं एक पद सहायक निदेशक से प्रोन्नति द्वारा।
3.	सहायक निदेशक	6500-10500	राजपत्रित (वर्ग-2)	सहायक शोध पदाधिकारी से 75 प्रतिशत प्रोन्नति एवं बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 से 25 प्रतिशत सहायक अभियंता के पदस्थापन द्वारा।
4.	सहायक शोध पदाधिकारी।	5500-9000	अराजपत्रित (वर्ग-3)	शत-प्रतिशत शोध सहायक से प्रोन्नति द्वारा।
5.	शोध सहायक-	5000-8000	अराजपत्रित (वर्ग-3)	सीधी नियुक्ति एवं नियमावली गठन के पूर्व से कार्यरत प्रयोगशाला सहायक से प्रोन्नति द्वारा।

§4§ भर्ती प्रणाली एवं अन्य अर्हत्ता:-

§क§ इस नियमावली के नियम 7 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा और

§ख§ इस नियमावली के नियम-9 के अनुसार प्रोन्नति द्वारा इस सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी।

§ग§ बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 1 एवं बिहार अभियंत्रण सेवा, वर्ग-2 के पदाधिकारियों से भरे जाने वाले पदों पर उनके पदस्थापन द्वारा

§5§ सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च को सेवा की विभिन्न कोटि में सीधी भर्ती और प्रोन्नति से भरी जाने वाली वर्गवार रिक्तियों की संख्या निर्धारित की जायेगी।

§6§ नियुक्ति के लिए उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित या भविष्य में समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।

§7§ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति:-

§क§ शोध सहायक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक §भौतिक, रसायन एवं गणित§ के साथ होगी।

§ख§ शोध सहायक के रिक्त पद की सूचना इत्यादि पथ निर्माण विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को संसूचित की जायेगी। इन पदों पर चयन के लिए बिहार प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञान स्नातक स्तर की होगी और परीक्षा के विषय निम्नांकित होंगे।

§क§ भौतिक शास्त्र	200 अंक
§ख§ रसायन शास्त्र	200 अंक
§ग§ गणित	200 अंक
§घ§ सामान्य हिन्दी	100 अंक
§ङ§ सामान्य ज्ञान	100 अंक
§च§ आयोग द्वारा आपदका का अंतवीक्षा	100 अंक
कुल	900 अंक

{4} ऐसे सरकारी सेवक जिनकी न्यूनतम योग्यता बी0एस0सी0{भौतिक, रसायन शास्त्र एवं गणित के साथ} हो एवं शोध सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक हो तो उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा तत्समय लागू प्रावधान के अनुसार उम्र सीमा में छूट मिलेगी।

{9} प्रोन्नति द्वारा नियुक्तिः-

इस सेवा में विभिन्न कोटि के पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति वरीयता -सह-योग्यता के अनुसार प्रशासी विभाग,कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति {आयोग सहित} द्वारा अनुशंसित सूची से करेगा। समिति गठन के लिए निर्गत आदेशों/उपबंधों के अन्तर्गत कार्रवाई पथ निर्माण विभाग करेगा।

{क} उप निदेशक के एक पद पर प्रोन्नति के लिए वैसे सहायक निदेशक पात्र होंगे जिन्होंने उक्त पद पर कम से कम7{सात} वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर लिये हो, एवं अन्यथा प्रोन्नति के योग्य हो।

{ख} सहायक निदेशक केपद पर प्रोन्नति के लिए वैसे सहायक शोध पदाधिकारी पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 {भौतिक विज्ञान,रसायन शास्त्र एवं गणित के साथ हो}तथा उक्त पद पर कम से कम 8{आठ} वर्ष का संतोषप्रद सेवा पूरी कर लिये हो, एवं अन्यथा प्रोन्नति के योग्य हो।

{ग} सहायक शोध पदाधिकारी के शत-प्रतिशत पद पर शोध सहायक की प्रोन्नति योग्यता एवं वरीयता के आधार पर 7{सात} वर्षों की कालावधि के बाद देय होगी।

{घ} प्रयोगशाला सहायक के पदों को शोध सहायक के पदों में परिवर्तित कर विलोपित कर दिया जायेगा एवं वर्तमान में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को विभिन्न चरणों में शोध सहायक के पदों पर नीचे वर्णित उप कंडिका घ{1} के प्रावधान के अनुसार प्रोन्नति दी जायेगी। जबतक परिवर्तित शोध सहायक के पद पर प्रोन्नति की

प्रक्रिया आरंभ नहीं हो जाती है तबतक प्रयोगशाला सहायकों की प्रोन्नति नीचे वर्णित उप कंडिका घ॥।॥ के प्रावधान के अनुसार की जायेगी। यह बिल्कुल बीच की॥ Transitional॥ व्यवस्था होगी एवं कार्यरत सभी प्रयोगशाला सहायकों के प्रोन्नति के बाद भविष्य में होने वाले शोध सहायक को सभी रिक्तियाँ कंडिका-7 में किये गये प्रावधान के अनुसार सीधी नियुक्ति से भरी जायेगी।

॥।॥ परिवर्तित शोध सहायक के पदों पर वर्तमान में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को सर्वप्रथम निर्धारित विभिन्न वर्गों में प्रोन्नति किया जायेगा। प्रोन्नति हेतु ऐसे ही प्रयोगशाला सहायक पात्र होंगे, जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेट हो तथा उक्त पद पर कम से कम 10॥दस॥ वर्षों का संतोषप्रद सेवा पुरी कर लिये हों, एवं अन्यथा प्रोन्नति के योग्य हों एवं आई०एस०सी० के लिए 8॥आठ॥ वर्षों का संतोषप्रद सेवा पुरी कर लिये हो एवं अन्यथा प्रोन्नति के योग्य हो, बी०एस०सी०॥भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र एवं गणित॥ योग्यता वाले प्रयोगशाला सहायक के लिए यह अवधि 7॥सात॥ वर्षों की होगी।सभी कार्यरत प्रयोगशाला सहायक के प्रोन्नति के बाद यदि परिवर्तित शोध सहायक के पद बचे रहे जाते है तो इन पर सीधी नियुक्ति होगी।

॥।।॥ जबतक परिवर्तित शोध सहायक के पद पर, प्रोन्नति की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो जाती है तबतक शोध सहायक के 25 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति होगी एवं 75 प्रतिशत पद पर प्रयोगशाला सहायक से प्रोन्नति होगी। इस प्रोन्नति में प्रयोगशाला सहायकों के लिए योग्यता एवं कालावधि उप कंडिका घ॥।॥ में दिये गये प्रावधान के अनुरूप होगा।

॥10॥ प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा॥प्रोबेशन॥:- नियुक्ति के तुरत बाद शोध सहायकों को दो वर्ष के अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

॥क॥ सभी सीधी भर्ती से नियुक्त या प्रान्त पदाधिकारियों को भर्ती के तुरत बाद तीन महीने के लिए प्रशिक्षण पर रखा जायेगा।

सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों के मामले में प्रशिक्षण की अवधि परिवीक्षा की अवधि में गणित होगी। यह प्रशिक्षण-परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा संचालित कराया जायेगा।

(11) (ii) संपुष्टि- परिवीक्ष्यमान पदाधिकारी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पद पर सम्पुष्टि किया जायेगा बशर्ते कि:-

(क) स्थाई पद उपलब्ध हो एवं

(ख) वे विभाग द्वारा इस अवधि में नियम-10 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुके हों।

(ग) स्थाई करने से संबंधित बिहार सेवा संहिता के नियमों को पूरा करते हों।

12. (क) सभी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का सेवा के प्रथम वर्ष में बिहार सरकार की हिन्दी टिप्पणी और प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है जिसके बाद ही प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी।

(ख) प्रोन्नति सहायक निदेशक को प्रथम दो वर्षों के अन्तर्गत विभागीय हिन्दी (निम्न स्तर) एवं विभागीय कानूनी परीक्षा एवं तीन वर्षों के अन्तर्गत व्यवसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विभागीय हिन्दी परीक्षा प्रथम वर्ष मे पास कर लिया जाता है तो विभागीय टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। सहायक निदेशक की द्वितीय वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा पास करने एवं तृतीय वेतन वृद्धि व्यवसायिक परीक्षा पास करने पर ही देय होगी।

(13) वरीयता- सेवा में पदाधिकारी की वरीयता का निर्धारण सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा।

14. यह नियमावली बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों के लिए समय-समय पर निर्गत किये गये या किये जानेवाले अन्य नियमों एवं परिपत्रों को प्रभावित नहीं करेगा।

15. समय-समय पर सरकार द्वारा आरक्षण, कालावधि एवं सरकारी सेवकों की सेवाओं के संबंध में जो भी परिपत्र आदि निर्गत किये जायेंगे वे सभी नियमावली को प्रभावित करेंगे।

16. सामान्य अन्य शर्तें:-

इस नियमावली में स्पष्ट रूप से उपबंधित स्थिति को छोड़कर इस सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्त राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवा के लिए विहित नियमों जो तत्समय प्रभावी हो, से नियंत्रित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-अस्पष्ट
8.11
सरकार के संयुक्त सचिव, प0नि0वि0,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2/स्था0-3012/91 9764(स) दिनांक 8.11.99

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(2) इस अधिसूचना की 1000 की मुद्रित प्रतियां सचिव, पथ निर्माण विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

ह0/-अस्पष्ट
8.11
सरकार के संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 9764(स) दिनांक 8.11.99

प्रतिलिपि सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार, रांची/पटना अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, सिंचाई एवं विद्युत विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना उपभाग, प0नि0वि0, पटना/मुख्य अभियंता सभी उपभाग, प0नि0वि0,/सचिव, लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0/-अस्पष्ट
8.11.99
सरकार के संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।